नियम 130 : सूचना की गोपनीयता

(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 11 के उपबंध, नियम 129 के उपनियम (3) और (5) और नियम 133 के उपनियम (2) में अन्य बातों के साथ अंतर्विष्ट होते हुए भी, किसी जानकारी के स्पष्टीकरण को जो सूचना गोपनीयता के आधार पर यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी।

(2) [1]**[**मुनाफाखोरी–रोधी महानिदेशालय**]**, पक्षकार जो गोपनीयता के आधार पर जानकारी दे रहे हैं, से गैर–गोपनीय सार देने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि, ऐसी जानकारी देने वाले पक्षकार की यह राय है कि ऐसी जानकारी का सार नहीं किया जा सकता, ऐसे पक्षकार [2]**[**मुनाफाखोरी–रोधी महानिदेशालय**]** को, कि क्यों सार करना संभव नहीं है के कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकते हैं।

---

[1] अधिसूचना क्रमांक 29/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 06.07.2018 द्वारा ''रक्षोपाय महानिदेशालय'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 12.06.2018)।

[2] अधिसूचना क्रमांक 29/2018–केन्द्रीय कर, दिनांक 06.07.2018 द्वारा ''रक्षोपाय महानिदेशालय'' के स्थान पर प्रतिस्थापित (प्रभावशील दिनांक 12.06.2018)।